निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 86 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट के माह 12/2015 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अक्षय कुमार एवं श्री सुनील कुमार ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, एवं श्री अंकित पांडे लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22/11/2018 से 30/11/2018 तक .....वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग</u>-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.एस. दरियाल एवं श्री अनिल कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 17/12/2015 से 24/12/2015 तक ..... वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 2/2013 से 11/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: विकास खण्ड मुनिस्यारी, डीडीहाट, कनालीछीना के अन्तर्गत सेतु एवं सड़कों का निर्माण कार्य व रखरखाव ।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	-	-	658.68	658.68	1434.37	1373.93				60.44
2016-17	-	-	669.85	667.79	1876.58	1876.58		2.06		-
2017-18	-	-	769.67	769.67	2992.90	2570.08				420.82
2018-19 (10/2018 तक)			641.52	490.88	2787.65	1601.93				

(ब) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

4. इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "बी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन
2. प्रमुख अभियंता, विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून
3. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़
4. अधीक्षण अभियंता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़
5. अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट

(VI) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 एवं 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य मार्ग संख्या-11 थल-मुनस्यारी मोटर मार्ग के किमी 152 से 222 (कुल 42.853 किमी) सुधारीकारण कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(VII) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अबतक की अवधि में दिनांक ..... शून्य ..... का निरीक्षण किया गया।

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2016 तथा 03/2016 तक की गई।

7. फार्म-51: माह ..... तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् हैः-

भाग प्रथम ₹(-) शून्य

भाग द्‌वितीय ₹ 191119.00

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ₹ 3078911/-

(ख) सामग्री क्रय -- शून्य --

(ग) नगद परिशोधन -- शून्य --

(घ) निक्षेप ₹ 47082690/-

(ङ) भण्डार ₹ 361536/-

भाग दो 'अ'

प्रस्तर-1 कार्य में देरी के लिए रु 1.12 करोड़ (liquidated damages) अर्थदण्ड आरोपित कर ना वसूला जाना एवं कार्य पर रु 914.09 लाख का व्यय करने के बावजूद 4 वर्ष बाद भी कार्य पूर्ण न किया जाना।

अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, लो॰नि॰वि, डीडीहाट के लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि राज्य योजना के अंतर्गत कर्णप्रयाग ग्वालदम जौलजीबी (राज्य मार्ग स॰ 11) थल मुनस्यारी मोटर मार्ग के किमी॰ 152 से 222 मे सुधारीकरण कार्य (किमी॰ 42.853) हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रु 1151.19 लाख की शासनादेश संख्या 1464/III(2)/14-67 (प्रा॰आ॰)/2013 दिनांक:04 मार्च 2014 को प्राप्त हुई। जिस पर रु 1151.19 लाख की ही तकनीकी स्वीकृति दिनांक 25 फरवरी 2015 को मुख्य अभियंता स्तर-2 लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा प्रदान की गयी। कार्य के निष्पादन हेतु मैसर्स स्पान इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नई दिल्ली के साथ अनुबन्ध संख्या 07/SE. (3rd)/ 2015 दिनांक 04.09.2015 को लागत रू 1128.27 लाख का गठित किया। अनुबन्ध अनुबंध की शर्तानुसार कार्य दिनांक: 04.09.2015 को प्रारम्भ कर दिनांक: 03.03.2017 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन प्रश्नगत कार्य खण्ड द्वारा बार -बार लिखने के बावजूद भी संबन्धित ठेकेदार द्वारा आतिथि तक पूर्ण नहीं किया गया था, न ही ठेकेदार द्वारा माह 02/2018 के पश्चात समय वृद्धि हेतु आवेदन किया गया तथा न ही खण्ड द्वारा समयवृद्धि हेतु ठेकेदार को लिखा गया । अनुबंध की शर्तानुसार G.C.C.1.1(V) & GCC 46.1 the liquidated damage for the whole of the work are (1/2000 th) of the initial contract price rounded off to the nearest thousand per day.The maximum amount of liquidated damage for the whole of the the works is 10% of the initial Contract Price.

उक्तानुसार liquidated damage का अनुबंध के अनुसार आगणन करने पर कुल रु 112.83* लाख देरी के लिए अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किया जाना चाहिए था, लेकिन खंड द्वारा आतिथि तक कोई भी धनराशि आरोपित कर वसूली नहीं गयी थी। न ही ठेकेदार के विरुध्द कोई उचित कार्यवाही की गयी।

लेखापरीक्षा मे इंगित करने पर खंड ने उत्तर मे बताया कि माह अक्टूबर,नवम्बर, अप्रैल एवं मई ही डामरीकरण कार्य हेतु उपलब्ध होते है, जिसमे भी वर्षा होती रहती है जिस कारण कार्य पूर्ण

नही हो सका है। ठेकेदार को कार्य करने हेतु निर्देश दिये गए, किन्तु माह 06/2016 से माह 06/2017 तक ठेकेदार द्वारा कोई कार्य नही किया गया। ठेकेदार को समयवृद्धि स्वीकृत की गयी है। कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

खंड के उत्तर मान्य नही है क्योकि खण्ड द्वारा बार-बार लिखने के बावजूद भी अनुबंध गठन के 4 वर्ष बाद भी ठेकेदार द्वारा आतिथि तक कार्य पूर्ण नही किया गया। माह 06/2016 से 06/2017 के मध्य ठेकेदार द्वारा कोई भी कार्य नही किया गया तथा न ही माह 02/2018 के पश्चात ठेकेदार द्वारा समयवृद्धि के लिए कोई आवेदन किया गया है, न ही खंड द्वारा ठेकेदार का आवेदन एवं उस पर खंड की संस्तुति किए जाने सम्बन्धी कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि ठेकेदार कार्य के प्रति कितना उदासीन है, इसके बावजूद भी खण्ड द्वारा अनुबंध की शर्तानुसार ठेकेदार पर कार्य मे देरी के लिए (liquidated damages) के रूप मे रु 1.12 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला नहीं गया। अतः 4 वर्ष बाद भी कार्य पूर्ण न किए जाने एवं रु 1.12 करोड़ देरी के लिए (liquidated damages) अर्थदण्ड आरोपित कर, ना वसूले जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

*** अनुबंध के अनुसार LD का प्रावधान=1/2000 per day अर्थात रु 56413.31 per day** (112826633.00*1/2000)

दिनांक 28.02.2018 के पश्चात दिनांक: 30.11.2018 तक कुल दिनो की संख्या= 275 दिन

कुल अर्थदण्ड (liquidated damages)= रु 15513662.03 (275*56413.31)

Limited the maximum amount of liquidated damage for the whole of the works is 10% of the initial Contract Price = **रु 11282663.30**

भाग 2 ब

प्रस्तरः1 - डिपाजिट मद में ` 470.82 लाख की धनराशि का अनिस्तारित/अवरूद्ध पड़े रहना।

FHB Vol-VI प्रस्तर 613 - Security deposits of subordinates and contractors, whether made in cash or in one of the forms of security referred in Para 614 are covered by a bond or agreement setting forth the condition, under which the security is held and may be ultimately refunded or appropriated.

प्रस्तर 622(iii) balances unclaimed for more than three complete account year should be carried to the revenue of the state as lapsed deposits.

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-V खंड-I के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय 9 के प्रस्तर 81 एवं 82(iii) यह प्राविधानित करता है कि विभागीय प्राधिकारी द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि सरकार को देय सभी राजस्व प्राप्तियों को सही एवं उचित तरीके से निर्धारित कर**,** बिना किसी विलंब के शासकीय खाते में डाली जाए एवं इस प्रकार की प्राप्तियां सरकार से प्राधिकरण प्राप्त किए बिना विभागीय व्यय के रूप में उपयोग न की जाए।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खंड, लो०नि०वि०, डीडीहाट के निक्षेप से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यालय में माह 10/2018 तक विभिन्न वर्षों से डिपाजिट शीर्षक में रु **470.83 लाख** की धनराशि अवरूध्द/असमायोजित पड़ी हुई थी। जिसमें भाग-II में वर्ष 2014 से भी पूर्व से ठेकेदारो की जमानत धनराशि रु **10.77 लाख** भाग-III में निक्षेप कार्यो से संबन्धित ` **441.90 लाख** , तथा भाग-V में **Sale tax/ GST** आदि से संबन्धित धनराशि रू० **17.83 लाख** विगत कई वर्षो से असमायोजित सम्मिलित थी।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर खण्ड ने उत्तर दिया कि भाग -II की धनराशि 2014 से पूर्व से पड़ी है जिसके समायोजन की कार्यवाही की जायेगी। भाग -III मे अंकित धनराशि के समायोजन हेतु भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है एवं भाग -V में प्राप्त धनराशि मे से `133480.00 GST से संबन्धित है, जिसको GST नंबर आवंटन होने पर संबन्धित लेखाशीर्ष मे जमा कर दी जायेगी। अवशेष धनराशि भूमि प्रतिकर से संबन्धित है, जो तहसीलदार द्वारा अवितरित धनराशि लौटने के कारण निक्षेप मे लंबित है। जिसके समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भाग-II में वर्ष 2014 से भी पूर्व से ठेकेदारों की जमानत जमा असमायोजित पड़ी थी, जो खंड द्वारा शासकीय खाते मे व्यपगत निक्षेप के रूप मे जमा

किया जाना चाहिये था तथा भाग-III में कुल असमायोजित धनराशि रु॰ **441.90 लाख** मे से भी कई धनराशियां विगत वर्षो से असमायोजित पड़ी थी यही नहीं भाग-V में **Sale tax/ GST** आदि से संबन्धित कुल रू0 **17.83 लाख** की धनराशि कई वर्षो से असमायोजित पड़ी हुई थी, जिसमे से Tax की धनराशि राजस्व मे जमा नही की गयी थी। न ही GST नंबर प्राप्त करने एवं प्रतिकर सम्बन्धी धनराशि के समायोजन हेतु खंड द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गयी थी।

अत: प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II(ब)

प्रस्तर - 2 ठेकेदार को GST के रूप में रू० 1,55,305/ का अधिक भुगतान ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि० डीडीहाट के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान मासिक लेखा माह 3/2018 की जांच में पाया गया कि वाउचर संख्या 05D दिनांक 17.03.2018 जो अनुबंध संख्या 9/SE-III दिनांक 22.10.2016 से संबन्धित ठेकेदार का 5th R/B था, में work executed since previous bill रु० 20,52,543/- का था। खण्ड द्वारा 12% का GST रु० 2,46,305/- एवं Hand Receipt के माध्म से रु 4,90,071/- यानि कुल (रु० 20,52,543/- + रु० 2,46,305/-+ रु० 4,90,071/-)= रु० 27,88,919/- का भुगतान ठेकेदार को किया गया जब कि बिल के साथ संलग्न GST Calculation Comparative Statement के अनुसार ठेकेदार को GST के रूप में मात्र रु० 90,875/- देय था ! इस प्रकार खण्ड द्वारा ठेकेदार को GST के रूप में (रु० 2,46,305.00 - 90,875.00)= रु० 1,55,430/- का अधिक भुगतान किया गया है !

उक्त की और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बतलाया कि ठेकेदार से अधिक भुगतान की वसूली आगामी देयक से कर ली जायेगी ! अतः खण्ड द्वारा ठेकेदार को GST के रूप में रु० 1,55,430/- का अधिक भुगतान किये जाने के प्रकरण को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है !

भाग ।।(ब)

प्रस्तर -3 प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व निविदा आमंत्रित कर 11 माह तक अनुबंध गठित न करना एवं बिना soil testing, abutment and structure design के सेतु निर्माण कार्य हेतु रु. 1,17,80,440 के अनुबंध गठित किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि० डीडीहाट के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान जनपद पिथौरागढ के विकास खण्ड मुनिस्यारी के अंतर्गत नौलड़ा खेतड़ा आदिचौरी मोटर मार्ग (10 कि० मी०) + 2 स्टील गर्डर के निर्माण कार्य की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 25.01.2016 एवं प्राविधिक स्वीकृति दिनांक 30.11.2016 को रू० 496.74 लाख की प्राप्त थी ! खण्ड द्वारा उक्त कार्य के निष्पादन हेतु मुख्य अभियन्ता से 1). कि० मी० 1 से कि० मी० 2 तक स्क्पर एवं दीवार निर्माण कार्य 2). कि० मी० 3 से कि० मी०10 तक पहाड़ कटान एवं स्क्पर निर्माण कार्य एवं सेतुओ के निर्माण हेतु पृथक पृथक निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त कर अनुबंध निम्न प्रकार गठित किये:

1॰ कि० मी० 1 से कि० मी० 2 तक स्क्पर एवं दीवार निर्माण के कार्य हेतु अनुबंध संख्या 53/EE दिनांक 18.11.2016 को गठित किया गया यानि प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि दिनांक 30.11.2016 से पहले ही गठित किया गया ! कार्य की अनुमानित लागत रू० 19,37,536/- एवं अनुबंधित लागत रू०11,78,340/- थी ! कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि दिनांक 17.05.2017 थी !

2॰ कि० मी० 3 से कि० मी०10 तक पहाड़ कटान एवं स्क्पर निर्माण कार्य निष्पादन हेतु दिनांक 24.01.2016 को निविदा आमंत्रित की गयी यानि वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि दिनांक 25.01.2016 से पहले ही ! निविदा खोलने की तिथि 11.02.2016 थी ! खण्ड द्वारा शैड्यूल B में मात्र 5 कार्य मदों हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी जबकि विस्तृत आगणन में उक्त कार्य क निष्पादन हेतु 11 मदे थी ! विसतृरित आगणन में कि० मी० 3 से कि० मी०10 तक पहाड़ कटान एवं स्क्पर निर्माण कार्य हेतु रू० 2,65,58,180/- की आगणित लागत थी परंतु खण्ड द्वारा कार्य की मदों एवं मात्राओ को कम करते हुये मात्र रू० 74,30,891/- की अनुमानित धनराशि शैड्यूल B में रखी गयी जिस से यह स्पष्ट होता है की छोटे / स्थानीय ठेकेदार को लाभ पुहचाने हेतु निविदा की धनराशि कम रखी गयी ! दिनांक11.02.2016 को निविदा खोली गयी जिस में ठेकेदार श्री0 भारत भूषण सिंह की निविदा रू0 67,81,782/- न्यूनतम थी ! खण्ड द्वारा ठेकेदार को 6 माह तक यानि दिनांक 20.08.2016 तक Letter of Acceptance प्रेषित नही की गयी ! दिनांक 20.08.2016 को

ठेकेदार श्री0 भारत भूषण सिंह को सूचित किया गाया कि यदि वह पूर्व में दी गयी निविदा की दरों पर कार्य करने हेतु तैयार है तो लिखित इकरारनामा देने का कष्ट करे ताकि अनुबंध गठित करने की कार्यवाही की जा सके ! ठेकेदार द्वारा उत्तर में निविदा की वैधता दिनांक 31.12.2016 तक बड़ाये जाने पर अपने सहमति दी ! चुकि निविदा की वैधिता मात्र 45 दिन की थी तो ऐसी स्थिति में खण्ड द्वारा निविदा निरस्त की जाने चाहिए थी परंतु ठेकेदार को लाभ पुहचाने हेतु न तो कार्य की आगणित लागत पर निविदा आमंत्रित की गयी और न ही निविदा की वैधता (45 दिन) खत्म होने पर निविदा निरस्त की गयी ! खण्ड द्वारा न तो निविदा निरस्त की गयी और न ही ठेकेदार को निविदा की वैधता दिनांक 30.12.2016 तक बढाने की सहमति दी ! और दिनांक 03.01.2017 को रू० 67,81,782/- का अनुबंध , अनुबंध संख्या 37/SE-III गठित किया जिस में कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि दिनांक 02.07.2017 थी ! दिनांक 12.9.2018 तक कार्य पर अनुबंधित लागत रू0 47,98,491/- के सापेक्ष रु0 1,15,80,273/ का व्यय (वाउचर संख्या 5 D दिनांक 12.9.2018) के अनुसार यानि रू0 47,98,491/- का अधिक व्यय किया गया ! अधिक व्यय का कारण अतिरिक्त मद के कार्य करना एवं अधिक मात्रा मे कार्य करना था ! खण्ड द्वारा शेड्यूल B में कार्य मात्राये एवं कार्य की मदे कम रखने और फिर उनही कार्य मात्राओ एवं कार्य मदों को अतिरिक्त मद में ठेकेदार द्वारा कार्य करने से स्पष्ट होता है कि खण्ड द्वारा ठेकेदार को लाभ देने हेतु निविदा में कार्य मदे एवं कार्य मात्राये कम रखी गयी ! ,

निविदा की वैधता खत्म होने पर निविदा निरस्त न किया जाने एवं ठेकेदार को लगभग 11 माह तक का समय देने से भी स्पष्ट होता है की खण्ड द्वारा ठेकेदार को लाभ पुहचाने हेतु ऐसा किया गया है!

3. 18 मीटर स्पान के 02 सेतुओ हेतु soil testing ,Abutment & Superstructure Design के कार्य हेतु अनुबंध संख्या 16/AE-I दिनांक 16.05.2017 को गठित किया गया जिस की लागत 2,52,000/- थी और कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि दिनांक 15.08.2017 थी ! यानि soil testing का कार्य पूर्ण करने की तिथि दिनांक 15/08/2017 से पहले ही सेतुओ के निर्माण कार्य हेतु अनुबंध संख्या 31/EE दिनांक: 17/06/2017 एवं अनुबंध संख्या:05/SE-III दिनांक : 20/06/2017 गठित किए गए। इस प्रकार खंड द्वारा बिना soil testing के ही सेतुओं का निर्माण कार्य शुरू किया गया। सेतुओं के निर्माण हेतु बिना soil testing, abutment and structure design के अनुबंध गठित करना एवं निर्माण कार्य शुरू करना वित्तीय अनियमितता है।खंडीय अभिलेखों में soil टेस्टिंग रिपोर्ट का न होना एवं खंड द्वारा अवगत कराना की soil testing रिपोर्ट कार्यालय प्रधान महालेखाकार देहारादून को बाद में प्रेषित किया जाएगा, से

स्पष्ट होता है की खंड द्वारा सेतुओं का निर्माण कार्य बिना soil testing के ही कराया जा रहा है, जो कि अनियमितता है।

4. नौलड़ा नापड खेतड़ा मोटर मार्ग के कि० मी० 4 में 18 मीटर स्पान गर्डर सेतु के निर्माण हेतु अनुबंध संख्या 31/EE दिनांक 17.06.2017 को गठित किया जिस की अनुबंधित लागत रू० 51,68,378/- थी और कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि दिनांक 16.06.2018 थी ! खंड द्वारा दिनांक 25/08/2017 को वाउचर संख्या 36D द्वारा ठेकेदार को रु॰ 19,14,000 (यानि अनुबंधित लागत का 37%) का भुगतान किया गया है। soil testing की रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने से स्पष्ट होता है कि कार्य बिना soil testing के ही कराया जा रहा है।

5. नौलड़ा नापड खेतड़ा मोटर मार्ग के कि० मी० 8 में 18 मीटर स्पान गर्डर सेतु के निर्माण हेतु अनुबंध संख्या 5/SE-III दिनांक 20.06.2017 को गठित किया जिसकी अनुबंधित लागत रू० 59,21,612/- थी और कार्य पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि दिनांक 19.06.2018 थी ! दिनांक 22/01/2018 को वाउचर संख्या 55 D द्वारा ठेकेदार को रु॰ 19,14,000 का भुगतान किया गया यानि अनुबंधित लागत का 32% व्यय सेतु निर्माण पर किया गया है जबकि उक्त कार्य हेतु आतिथि तक(लेखापरीक्षा तिथि तक) सेतु निर्माण हेतु soil testing का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिससे ये स्पष्ट होता है कि खंड द्वारा सेतुओं का निर्माण कार्य बिना soil testing के ही कराया जा रहा है। विस्तृत आगणन में 2 सेतुओ के निर्माण हेतु कुल आगणित धनराशि रू0 1,17,80,440/- के सापेक्ष रू०1,17,80,440/- की निविदा आमंत्रित की गयी परंतु शेष मोटर मर्ग़ निर्माण कार्य हेतु प्राविधिक स्वीकृति (रू0 496.74 लाख- रू०1,17,80,440/-)=र० 378.94 लाख के सापेक्ष मात्र (कुल निविदा की धनराशि रू0 2,14,00,867- रू० 1,17,80,440/- bridge)= रू० 96,20,427 यानि मात्र 25% की निविदा आमंत्रित की गयी । उक्त की और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर खण्ड द्वारा बतलाया गया कि कार्य की अत्यधिक आवश्यकता एवं स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित की गयी ! निविदा के समय कार्य की सभी मदों एवं मात्राओं को शैड्यूल B में पूर्ण रूप से न रखने , अनुबंध संख्या 37/SE-III दिनांक 03.01.2017 की अनुबंधित लागत रू० 67,81,782/- के सापेक्ष रु० 1,15,80,273/- का व्यय किये जाने एवं कार्य हेतु कुल प्राविधिक स्वीकृत धनराशि रु० 496.74 लाख - सेतुओ हेतु प्राविधिक धनराशि रू०1,17,80,440/-)= र० 378.94 लाख की धनराशि मार्ग निर्माण हेतु प्राविधिक थी जिस के सापेक्ष मात्र रू० 96,20,427/- की निविदा (मात्र 25%) आमंत्रित किए जाने के संबंध में बतलाया कि मार्ग हेतु स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आये दिन धरना प्रदर्शन किया जा रहा था जिस कारण मार्गों को चालू करने हेतु नितांत आवश्यक मदों को ही शैड्यूल B में रखा गया ! निविदा खोलने कि तिथि दिनांक 11.02.2016 से 6 माह तक ठेकेदार को Letter of Acceptance प्रेषित न किये जाने एवं 11 माह तक

अनुबंध गठित न किये जाने के संबंध में बतलाया कि प्राविधिक स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जा सका ! निविदा की वैधता ख़त्म होने (45 दिन) पर निविदा निरस्त न किये जाने के संबंध में बतलाया कि पुनः निविदा आमंत्रित करने पर निविदा अधिक दरों पर आने की संभावना थी !, soil testing ,Abutment & Superstructure Design प्राप्त करने से पहले ही निविदा आमंत्रित करना , सेतुओ के निर्माण हेतु अनुबंध गठित करना एवं सेतुओ का निर्माण कार्य शुरु किये जाने के संबंध में बतलाया कि सेतु डिज़ाइन एवं soil testing की माप दिनांक 20.08.2017 को की गयी थी ! Abutment निर्माण का कार्य इस तिथि के बाद प्रारम्भ हुआ !

खण्ड का उतर लेखा परीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि ,यदि कार्य की अत्यधिक आवश्यकता एवं स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित किया जाना अत्यधिक आवश्यक था तो कार्य निष्पादन हेतु निविदा खोलने के 11 माह बाद अनुबंध गठित करने का क्या औचित्य था। अनुबंध 11 माह बाद गठित करने से स्पष्ट होता है कि खंड द्वारा ठेकेदार को लाभ पहुंनचाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व कम मदों एवं मात्राओं की निविदा आमंत्रित की गई। soil testing रिपोर्ट के संबंध में खंड द्वारा अवगत कराया गया कि 4 km पर 18 मी॰ सेतु की रिपोर्ट बाद में कार्यालय प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किया जाएगा और km 08 में 18 मी॰ सेतु निर्माण कार्य हेतु soil testing कराई जाएगी एवं सेतुओं के निर्माण कार्य पर 37%(4 km पर 18 मी॰ सेतु) एवं 32%(8km पर 18 मी सेतु) का व्यय किए जाने से स्पष्ट होता है कि सेतु निर्माण कार्य बिना soil testing के ही कराया जा रहा है। जबकि नियमानुसार सेतु निर्माण कार्य हेतु soil testing, abutment and structure design करने के बाद ही अनुबंध गठित किया जाना चाहिए। अतः वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व निविदा आमंत्रित किया जाना, निविदा खोलने के 11 माह बाद अनुबंध गठित करना एवं सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु बिना soil testing, abutment and structure design के अनुबंध गठित किए जाने की अनियमितता को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
29/2003-04	-	04
26/2005-06	1, 2, 3	2, 6
04/2010-11	1, 2	1, 3
19/2011-12	1, 2	01
87/2012-13	1, 2	01
91/2015-16	-	1, 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले॰प॰) को पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री पी॰ सी॰ जोशी	अधिशासी अभियन्ता	विगत लेखापरीक्षा से 04/08/17 तक।
2.	श्री ए॰ वी॰ काण्डपाल	अधिशासी अभियन्ता	04/08/17 से 18/08/17 तक।
3.	श्री जी॰ डी॰ जोशी	अधिशासी अभियन्ता	18/08/17 से 10/04/18 तक।
4.	श्री एम॰ सी॰ पाण्डेय	अधिशासी अभियन्ता	10/04/18 से 19/07/18 तक।
5.	श्री ए॰ के॰ बर्मन	अधिशासी अभियन्ता	19/07/18 से वर्तमान तक।

4. **विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खण्ड से संबध्द रहे।**

	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री सुबोध कुमार	खण्डीय अधिकारी	विगत लेखापरीक्षा से 12/09/16 तक।
2.	श्री श्रवण साह	,,	12/09/16 से 15/09/17 तक।
3.	श्री सुबोध कुमार	,,	15/09/17 से 12/09/18 तक।
4.	श्री अमृतेश कुमार	खण्डीय लेखाकार	12/09/18 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान

महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र- II